



चत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राबपुर-दानो रोड, महाराजा प्रताप स्ट्रीट कालेज, रायपुर के सामने
दैरायदौन-248008

ईमेल- www.sssc.uk.gov.in E-mail: chhattisgarh@ssc.nic.in
विभाग संख्या: 65/ उक्तसंभवता/2024 दिनांक: 25 सितंबर, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

चत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी मर्ही के भविष्य से विभिन्न विभागों के दाकनीकी गतिर्वास के लिए यहाँ पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	25 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति करने की तिथि	28 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्यता	18 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अपेक्षा	21 अक्टूबर, 2024 से 24 अक्टूबर, 2024 तक
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	25 नवंबर, 2024

02.- चत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के प्राप्तवार के दिन 140 घण्टों टैक्सीरियन पेड़-2(विद्युत) के लिए 21 घण्टों टैक्सीरियन वेड-2(विद्युत) के लिए 08 घण्टों नक्सल विनियोगों के लिए 18 घण्टों, परम्पर के लिए 01 घट. मैटिनेस सहायक के लिए 01 घट. इलेक्ट्रिकियन के लिए 01 घट. इन्स्ट्रुमेंट रिपोर्टर के लिए 03 घट. अवृत्तिकार/ट्रैसर के लिए 03 घण्टों तथा वैतकला प्रतिविकार के 01 लिए घट. अधिकतम कुल 196 लिए घटों पर सीधी मर्ही के मध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जापनित लिए जाते हैं। इन्हुनें जनर्म्मी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03. अध्यर्थियों द्वारा चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रयत्न पैश में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की सांस्कृतिक सूचना यथा समय पृष्ठाक से आयोग की वेबसाइट, वैनिक समाधार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अध्यर्थियों द्वारा उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिए गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अन्यर्थी अपने प्रेस पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा ताक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अध्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अध्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं कह सही Phone/Mobile Number व E-Mail नहीं। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। जल्द आवश्यक है, कि अध्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्ति परीक्षा कार्यक्रम, प्रेस पत्र जारी करना हृत्यादि को लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

३४. पदों का विवरण— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा अधिकारी को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने याले अधिकारीहरु में रिक्तिहारी की गणना एवं आखण्ण की पूर्ति की लिम्नोदारी पूर्ति: सम्बन्धित विभाग की है। इस विभाग में कुल विकासित पदों व उनके संपर्क सम्बन्ध व वैतिज आखण्ण के अन्तर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकारीहरु में दिए गए विभाग के अनुसार ही विद्या गया है। उत्तराखण्ड शासन के ईरिज व उच्च आखण्ण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आवश्यक रिक्तियों की संख्या में संतोषित/परिवर्तन हो सकता है तथा विकासित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या पट/बड़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है—

A. प्रदर्शन—

प्रारूपकार

पदकोड—६७१/३८८/६३/२०२४

कुल यद—१४०

(i) रिक्तियों का विवरण एवं वैतिज आखण्ण की विधि—

क्रम संख्या	पदनाम/विभाग का नाम	अधिकारी की वैशिष्ट्य	विवरण यद	वैतिज आखण्ण के अन्तर्गत विक्षित पदों की संख्या								विवरण
				उत्तराखण्ड की वैशिष्ट्य	उत्तराखण्ड के अधिकारी	भूमूल संभव	उत्तराखण्ड के अधिकारी					
1.	प्रारूपकार (विवरण, उत्तराखण्ड)	वर्षाया	२६	०७	—	०१	०१	—	—	—	—	०६
		वर्षाया	०६	०१	—	—	—	—	—	—	—	(०२-LV/PB)
		वर्षाया	२०	०५	—	—	—	—	—	—	०१	(३३-HN/PD)
		वर्षाया	१४	०४	—	—	—	—	—	—	०१	(३१-CAL/DA/OL/BL/AC)
		वर्षाया	५८	२५	०२	०६	०६	०६	०६	१०	१०	(३१-HM/AV)
		वर्षाया	१४०	४२	०२	०७	०७	०८	०८	१४	०६	(३१-HF)

(ii) ऐतनमान— ३० ३६,४३०—३० १,१२,४०० (लेवल—०६)

(iii) आयु रोमा— २१ वर्ष से ५२ वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप—अराजणीयत/स्वाई/असादायी पेशानयुक्त।

(v) वैशिष्ट्य अहंता—

(a) अनिवार्य अहंता— प्रारूपकार के यद पर सीधी भौति हेतु अभ्यर्थी को निम्न विनियिष्ट अहंताओं में से कोई एक होनी चाहिए—

१. राज्य प्राविधिक विकास परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग ने तीन वर्षीय डिप्लोमा।
२. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया नवाचानदीसी में प्रमाण पत्र।
३. राज्य प्राविधिक विकास परिषद उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया नवाचानदीसी में प्रमाण पत्र।
४. राज्य प्राविधिक विकास परिषद उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया नवाचानदीसी का प्रमाण पत्र।
५. धनावस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नवाचानदीसी में ३ वर्षीय प्रमाण पत्र।
६. अंतीगढ़ मुस्लिम विकासियालय द्वारा दिया गया नवाचानदीसी में ३ वर्षीय प्रमाण पत्र।

7. श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवायोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नवशानीसी तक प्रमाण पत्र।
 (b) अधिनायक अहंकारी— अन्य बालों के समान होने पर सीधी भर्ती को नामांकन में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिग्राह दिया जाएगा, जिसने—
- प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की नृत्यालम् अवधि तक सेवा की हो, या भूतानुरूप सेविक हो, या
 - राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम—

पदकोड़—524/666/63/2024

टैक्सीशियन ड्रेड-2 (पियुत)

कुल पद-21

(i) रिक्तियों का विवरण एवं सेवित जालाज की खिलित—

क्रम संख्या	पदनाम/ विभाग का नाम	अवधारणा संख्या	दिनांक वर्ष	सेवित जालाज के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							प्रत्येक पद विभाग का नाम विभागीय विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या	दिनांक
				सेवायोजन की नीतीय	सेवायोजन के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या	प्राप्तानुरूप सेविक	सेवायोजन की नीतीय	सेवायोजन के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या	प्राप्तानुरूप सेविक	सेवायोजन की नीतीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	टैक्सीशियन ड्रेड-2 (पियुत) (प्राप्तानुरूप सेविक)	सरकारी 03	01	—	—	—	—	—	—	—		
		सरकारी 02	—	—	—	—	—	—	—	—		
		प्राप्तानुरूप 06	02	—	—	—	—	—	—	—		
		प्राप्तानुरूप 02	—	—	—	—	—	—	—	—		
		अन्य 08	02	—	—	—	—	—	—	—		
		योग 21	05	—	—	—	—	—	—	—		

(ii) देशभक्त— 90 27200-90 88100 (टेलेफ़ोन-04)

(iii) आगु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप— असाधारित/स्थाई/कंशदारी देशभक्त।

(v) सेविक अहंकारी—

(a) अधिकारी अहंकारी—

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई रूक्ष विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष वरीय उत्तीर्ण तथा इन्हेंट्रीशियन अवधि इतेक्ट्रोनिक ट्रैक में जारित नारीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण—पत्र एवं 02 वर्ष का कार्य का अनुबंध।

(b) अधिकारी अहंकारी— अन्य बालों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती को सामाजिक अधिग्राह दिया जाएगा, जिसने—

(i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ii) नेशनल कैडेट कोर का 'सी' प्रमाण—पत्र अवधि 'सी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

C- पदनाम—

पदकोड-524/668/63/2024

ट्रैकीशन रेड-2 (यांत्रिक)

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं वैतित आवधार यदि निम्नों—

अन्तर्गत संख्या	पदनाम/ विभाग का नाम	आवधार की संख्या	सिला पद	वैतित आवधार के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							दिवापा
				प्रत्येक वैतित पद की संख्या	उपचारकों के असीमा	प्रारूपी संरचना	अवधार	प्रत्येक वैतित पद की संख्या	प्रत्येक वैतित पद की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	ट्रैकीशन रेड-2 (यांत्रिक) (प्रौद्योगिक सिस्टमेटिक)	001	—	—	—	—	—	—	—	—	-
		01	—	—	—	—	—	—	—	—	
		02	—	—	—	—	—	—	—	—	
		03	—	—	—	—	—	—	—	—	
		04	02	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	08	02	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) फोनमान्तर— ०१ २७२००-२० ०६१०० (ट्रेवल-04)

(iii) वाहन सीमा— १८ वर्ष से ५२ वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप—आराजायित/स्थाई/लंबादारी पैशनमुक्त।

(v) ईकाइ अहंता—

(a) अनियाय अहंता—

1. सन्याचा प्राप्त कोई से हाई रूक्षम् प्रियांग एवं गणिता शिष्य के साथ या समक्ष संविदा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रैक में अखिल भारतीय/साम्बद्ध अवस्थायिक प्रभाग-पत्र एवं संबंधित कार्य का ८२ वर्ष का कार्य का अनुभव।

(b) अधिकारी की अहंता— अच्य वार्ता के समान होने पर, ऐसे अखिली को सीधी चार्टी वा अन्यत्र में अधिकार दिया जाएगा, यिन्होंने—

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कॉर्डेट कोर का “सी” प्रभाग-पत्र सेवा “सी” प्रभाग-पत्र प्राप्त किया हो।

D- पदनाम-

नलकूप मिस्त्री

पदकोड-671 / 322 / 63 / 2024

कुल पद-16

(i) विवरणों का विवरण एवं दीर्घिय जालान की स्थिति-

क्रम संख्या	पदनाम/विभाग का नाम	आवास अधिकारी	विकास नाम	दीर्घिय जालान के अनागीत विवाह पदों की संख्या								विवरण
				जन्मसंख्या की अधिकारी	प्रबन्धालय के अधिकारी	प्रमुख अधिकारी	वर्षाम	जलानकारी के अधिकारी	प्रबन्धालय राज्य अधिकारी के विविध वार्षिकालयों पर उनके अधिकारी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	नलकूप मिस्त्री (विवाहार्थी विवाह, जलानकारी)	गोपनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		गोपनी	-	-	-	-	-	-	-	-		
		गोपनी	01	-	-	-	-	-	-	-		
		गोपनी	01	-	-	-	-	-	-	-		
		गोपनी	14	04	-	-	-	-	-	01		
		दोनों	18	04	-	-	-	-	-	01	-	

(ii) वेतनमात्रा— ₹० २५,५००-₹० ८१,१०० (वेतन-०४)

(iii) जात्यु सौम्य— १८ वर्ष से ४२ वर्ष तक।

(iv) पद का व्यवस्था—अराजपत्रित/स्थाई/असदायी पैशानपूर्ण।

(v) ऐक्षिक अवृत्ता—

(a) अनिवार्य अवृत्ता—

(1) शाई स्थान एवं आईटीआई के साथ-साथ ०८ वर्ष का अनुभव।

(b) अधिकारी अवृत्ता— अन्य यात्रों के समान होने पर, ऐसे जगहों को रखी जाती के मान्दे में अधिकार दिया जाएगा, जिन्होंने:-

(1) प्रादेशिक सेवा में जन से जन तक दो दर्जे की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेतृत्व के ठेट कोर वह 'सी' प्रमाण-पत्र जप्ता 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(3) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

(i) लिंगरात्रों वा निवारण एवं सीतिज आवास की विवरिति—

क्रम संख्या	पदनाम/ निवास का नाम	आवास की संख्या	प्रिय पद	सीतिज आवास के अन्तर्गत वित्त पदों की संख्या							विवरण
				उत्तराधिकार की विवरण	समन्वयिता के विवरण	भूमूली विवरण	अवधि	प्रत्यावरण के बाहर विवरण	प्रत्यावरण के बाहर विवरण	प्रत्यावरण के बाहर विवरण	
1.	प्रोबेश्वरनिधि (टीटो आयु एवं टीतिज) प्रशासन प्रशासन वाकादर्शी)	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	अमृता०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) घेटनमान— ७० १९९००-७० ६३२०० (लेफल-०२)

(iii) आयु सीमा— १८ वर्ष से ४२ वर्ष तक।

(iv) पद वा उच्चाय-अवाचापवित्र/ स्थायी/ अंशदायी/ पैदानयुक्त।

(v) ऐकिक अहंता—

(a) अनिवार्य अहंता—

(1) तिनीं मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त
लोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

(2) तिनीं मान्यता प्राप्त और्योगिक प्राप्तिकान संस्थान से एलम्बर ट्रैक में प्रमाण-पत्र,

(3) राष्ट्रीय ट्रैक में ०२ वर्ष वा कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।

(b) अधिमानी अहंता— अन्य वार्ता के समान होने पर, ऐसे अन्यर्थी को सीधी भर्ती वा मासले
में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने—

(1) प्रायोगिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का "दो" अध्ययन "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

५- पदनाम-

मेट्रिनेंस सहायक

पदकोड-६55 / २७८ / ६३ / २०२४

गुरु पद-०१

(i) विविधों का विवरण एवं लैटिज आवश्यकीय विवरण—

खंड विषय	पदनाम/ विभाग का नाम	आवाहन केरी	ठिकाना पद	बैंकिंग जारीबन के अन्तर्गत विवर पढ़ो की संक्षिप्त								विवरण
				प्राप्तवाचन की वर्गीकरण	संभवतये में अधिक	सुनिश्चित वर्णन	जारी	कारबाह्य के सुविधा विवरणी	प्रतिवाचन राज्य कारबाह्य में विविध सम्बन्धित की या अन्य विवरण			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		
२.	मेट्रिनेंस सहायक (पद वापरी विभाग, आवश्यक)	बैंकिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		बैंकिंग	—	—	—	—	—	—	—	—		
		बैंकिंग	—	—	—	—	—	—	—	—		
		बैंकिंग	—	—	—	—	—	—	—	—		
		बैंक	०१	—	—	—	—	—	—	—		
		योग	०१	—	—	—	—	—	—	—		

(ii) देशभक्ति— रु० १९,८००—रु० ६२,२०० (खंड-१२)

(iii) जातीयता— २१ वर्ष से ४२ वर्ष तक।

(iv) पद का व्यवस्था—जलालपत्रिना/स्लाई/अंतरालीय योग्यतावाक्त।

(v) लैटिक अहंता—

(a) अनिवार्य अहंता—

(1) विद्यालयी विद्या पारिषद, उत्तराखण्ड की इष्टदर्शीडिएट वर्तिका या सरकार द्वासे उसके संगतका माध्यम प्राप्त कोई वरिका उल्लिङ्ग की हो।

(2) इन्स्टीट्यूट अध्यका मैनेजिमेंट ने ०२ वर्षीय आईटीआई विद्योना लक्ष ऐसे अध्यार्थीयों को अधिकार दिया जाएगा, जो लैट्यूट अनुद्योगों का ज्ञान रखते हों।

(b) अधिकारी अहंताएँ— कानून वालों के समान होने पर, ऐसे अध्यार्थी को सीधी भारी के ग्राहकों में अधिकार दिया जाएगा, जिन्होंने—

(1) ग्रामीण सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, तो

(2) नेशनल औरेट बोर्ड का "सी" ड्रग्गल—पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम-

इलैक्ट्रोशियन

पदकोड-789/165/63/2024

मुख्य पद-01

(i) विवरणों का विवरण एवं स्थिति आवश्यक ही स्थिति-

संख्या	पदनाम/विवरण का नाम	आवश्यक केरी	विवरण पद	स्थिति आवश्यक के जनागत रिक्त पदों की संख्या							
				प्रत्यक्षावधि की अवधि	स्वाधीनी की अवधि	सुनहरी सेवन	वर्ष	आवश्यक की कुल संख्या	प्रत्यक्षावधि वाले व्यक्तियोंने के विवेक व्यवस्थापनकारी दो वर्षों की अवधि	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	इलैक्ट्रोशियन (प्राधिक विवरण वारावाहकम्)	बहुवाही 01		—	—	—	—	—	—	—	
		बहुवाही 02		—	—	—	—	—	—	—	
		बहुवाही 03		—	—	—	—	—	—	—	
		बहुवाही 04		—	—	—	—	—	—	—	
		बहुवाही 05		—	—	—	—	—	—	—	
		बहुवाही 06		—	—	—	—	—	—	—	

(ii) पेतनमात्रा— ५० २१,७००-५० ६६,१०० (त्रिवेस-०५)

(iii) आगु रीभा— २१ वर्ष से ५२ वर्ष तक।

(iv) पद का सालय—अंतर्राष्ट्रीय/स्थानीय/अंतर्राष्ट्रीय पेतनमुख्य।

(v) ईकांक अवधि—

(a) अनिवार्य अवधि—

(1) राजकीय सरकारी प्राधिकारिक विद्यालय का संबोधित ट्रेट से ०३ वर्षीय सर्टिफिकेट छोर्स अथवा हाई स्कूल के माध्यम आईएटीआई०/चौथाई०लीज़ार्ड० या क्षात्रीय एवं विशेषज्ञ संबोधित ट्रेट से सर्टिफिकेट।

(b) अधिकारी अवधि— अन्य वार्ती के समान होने वाले ऐसे अधिकारी जो सीधी भर्ती के माध्यम से अधिकार दिया जाएगा, विवरोंने—

(1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि हाल सेवा की हो, या

(2) नेशनल कॉर्पोरेशन का "सी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

H- पद्धताम्-

इन्स्ट्रुमेंट रिपोर्ट

फाइल-759 / 201 / ५३ / २०२४

प्राचीन वार्ष-१३

(ii) दिवितयों का विवरण एवं संतुल आवधि की विवरि-

अनुसंधान संख्या	प्रयोगशाला का नाम	आवश्यकता की वर्गीकरण	विकल्प पद	ऐतिहासिक जातीयता के अनुसार लिखित पदों की संख्या						
				उत्तराधिकारी की संख्या	समाजसेवा में अभियान	भूगोलीकी संख्या	जनजाति	वास्तविकता के बुझाने की संख्या	प्रत्यक्षीय राजनीतिक विभिन्न लोकतांत्रिकीय वा उपर्युक्त विभिन्न	विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	इन्डियन स्टडीज (प्रायोगिक विभाग उत्तराधिकारी)	आवश्यक	01	-	-	-	-	-	-	-
		उत्तराधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	-
		वास्तविकता	-	-	-	-	-	-	-	-
		समाजसेवा	-	-	-	-	-	-	-	-
		जनजाति	02	-	-	-	-	-	-	-
		दैवी	03	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान— ₹० २९,२००—₹० ९२,३०० (लिंगल—०६)

(iii) आय सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) यदि कर संस्थय-अराजपत्रित / स्पार्टा / अंगदावी पेशनपत्र।

(v) शैक्षिक अवधारा-

(a) अग्निधार्म आदेश-

(५) डिप्लोमा इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियर/सोस्ट इंजीन इन्जीनियर

(b) अधिग्राही अहसास— अन्य वक्तों के समान होने पर, ऐसे अधिकारी जो लीडी लॉटी के मामले में अधिकार दिया जाएगा, जिन्होंने—

(1) प्रायोगिक सेना में कम से कम दो युवंती सैनिक तक सेवा की हो।

(2) नेहनल कैलेट बोर का "बी" मुद्रण-वक्त्र प्राप्त किया हो।

Frank

१. पदनाम-

अनुरेखक / ट्रेसर

पदनाम-162/052/63/2024

मुल पद-01

(ii) विवरणों का विवरण एवं दीर्घिया आलगा वी स्थिति-

सूची संख्या	पदनाम/ विवरण वा नाम	आवश्यक संख्या	विवरण पद	वीविवरण आवश्यक से कमतरता विवरण पदों की संख्या							विवरण
				आवश्यक वीविवरण	आवश्यक हो विवरण	पूर्ण वीविवरण	आवश्यक	आवश्यक वीविवरण के सुधार विवरण	प्रत्यावर्त्तन वापरालग्नी वा उचित आवश्यकता	प्रत्यावर्त्तन वापरालग्नी वा उचित आवश्यकता	
1	अनुरेखक / ट्रेसर विवरणिकारी उपराजिक नगर)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
		अनुरेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुरेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुरेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुरेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुरेखक	01	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-

(iii) वैतनमात्र- रुप 18,000/- रुप 50,000 (लेवल-01)

(iv) आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(v) पद का स्वरूप-प्रत्यावर्त्तन / स्थाई / अवाधारी प्रशानन्युक्त।

(vi) रीक्रिक अवधारी-

(a) अनिवार्य अवधारी-

(1) अर्थात्तीप्रसारी विवरणावारक तथा भव्यानिक विवरण वरिष्ठ उल्लंघनात्मक की हाईस्कूल परीक्षा वा राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष सम्पत्ति प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(अर्थात्तीप्रसारी विवरणावारक संरचित ट्रैब का ही नाम है)

(b) अधिनागी अवधारी- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अवधारी को सीधों मर्ही के मामले में अधिनाग दिया जाएगा, जिन्होंने-

(1) प्रावेशिक शैक्षण में काम वा काम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल फैटेट बोर्ड द्वारा "सी" प्रशान्त-प्रश्न अधिकारी वा "सी" प्रशान्त-प्रश्न प्राप्त किया हो।

J. पदनाम—

अनुरेखक / द्वेषार

पदनाम—155/052/03/2024

कुल पद—02

(i) विधियों का विवरण एवं दीर्घि आवश्यक की स्थिति—

संख्या	पदनाम/ विधान का नाम	आवश्यक क्रमी	दिला पद	विभिन्न आवश्यक के बनागत विकास पदों की संख्या								विवरण
				प्रत्यावर्तन की विधि	स्वास्थ्यकोष के विधि	पूर्णता विधि	विधि	प्रत्यावर्तन के शुद्ध विधि	प्रत्यावर्तन वाल जन्मदातार के विधिया कानूनकारी या उचित विधि			
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	अनुरेखक / ट्रैया (वित्तमिकारी वैकासन)	जगद्वारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		बहुसंख्यक	—	—	—	—	—	—	—	—		
		बहुविधि	—	—	—	—	—	—	—	—		
		त्रिविधि	—	—	—	—	—	—	—	—		
		अन्तर्विधि	02	—	—	—	—	—	—	—		
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—		

(ii) केतनाहान— रु. 15,000/- रु. 35,000 (लेवल—01)

(iii) आयु रीढ़ि— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद या स्वरूप—जन्मजपत्रिल / जन्मता / जन्मदाता पेशानदाता।

(v) दीर्घि अवधि—

(a) अग्रिमार्द अवधि—

(1) आईटीजार्ड हिपोमायारक तथा नायग्निक लिक्षा परिषद उत्तराधिकार की हाईस्कूल परीक्षा या राज्य मरकार द्वारा उत्तराधिकार का भाग में प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (आईटीजार्ड हिपोमायारक सरकार द्वारा कोई भी नायग्निक परीक्षा नहीं है)

(b) अधिगानी अवधिएँ— जन्म बाटों के समान होने पर, ऐसे अध्यर्थी को चीमी भर्ती के सामने में अधिगान दिया जाएगा, जिन्होंने—

(1) इंसरेक्शन रोल में कम से कम दो वर्ष या उत्तराधिकार के लिए रोल की हो, या

(2) नेशनल एंडेट और कर "बी" प्रमाण—पत्र जन्मता या प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

(i) रिक्तियों का विवरण एवं दीर्घाव आवश्यक की विधि—

क्रम संख्या	पदनाम/ विभाग का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	विभाग संख्या	टेक्निकला प्रैक्टिशन के अन्तर्गत सिवा यदों की संख्या							विवरण
				प्राथमिक प्रैक्टिशन की संख्या	संबोधित की संख्या	प्राप्ति संख्या	कालावधि	प्राथमिक प्रैक्टिशन के अन्तर्गत सिवा यदों की संख्या	विभिन्न अन्तर्गत कालावधि की संख्या	विभिन्न अन्तर्गत कालावधि की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
2.	टेक्निकला प्रैक्टिशन (प्राथमिक कालावधि विभाग, उत्तराधिकारी कालावधि विभाग)	अवधारणा	-	-	-	-	-	-	-	-	
	अवधारणा	अवधारणा	-	-	-	-	-	-	-	-	
	अवधारणा	अवधारणा	-	-	-	-	-	-	-	-	
	अवधारणा	अवधारणा	-	-	-	-	-	-	-	-	
	अवधारणा	अवधारणा	01	-	-	-	-	-	-	-	
	अवधारणा	अवधारणा	01	-	-	-	-	-	-	-	

(ii) पेटीएमसी— ७० २१,३००—७० ०९,१०० (टेक्निकला-03)

(iii) आपू सीमा— १५ मर्ज से ४२ कर्व तक।

(iv) पद का वर्वाचय—जलजमानी/स्वार्ट/अंशदाती प्रैक्टिशन।

(v) संस्थिका कहाँता—

(a) अनिवार्य अहंता—

(1) नाम्यांकित विकास परिषद् उत्तराधिकारी की हाइट्सकूल परीक्षा या राजकार द्वारा उसके चारोंका नाम्यांक प्राप्त की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) किसी चरकरी या नान्यवाद प्राप्त औद्योगिक प्रैक्टिशन संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रचारण यत्र।

(b) अविभागी अहंताएँ— अन्य योगों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिकार दिया जाएगा, जिन्होंने—

(1) प्रारंभिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल ट्रेनिंग कोर का "सी" प्राप्त—यव अभ्यर्थी "सी" प्राप्त—यव प्राप्त किया हो।

3. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व सत्तरां प्रक्रिया—

(i) उक्त पदों के बीच हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 पन्द्रे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी।

पदनाम— प्राथमिकल, टेक्निकलिंग सेड-2 (विद्युत), टेक्निकलिंग सेड-2 (यांत्रिक), नलकूप नियन्त्री, स्टम्बर, मैटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रोलिंग तथा इस्ट्रॉनेंट रिपेयर के पदों हेतु विषयप्रकर कस्तुनिष्ठ प्राप्तनी हेतु संबंधित ट्रेन का पाठ्यक्रम National Council For Vocational Training (NCVT) का होगा। पदनाम— झुरुंगाक/ट्रेसर के पदों हेतु DMC (Draftsman civil) का पाठ्यक्रम होगा। पदनाम— बैलाकला प्रैक्टिशन के पदों के पाठ्यक्रम हेतु परिस्थित-1 का आवलोकन करें।

समाचार व अंतर्राष्ट्रीय सेवा के अधिकारियों जो 45 प्रतिशत तक अनुचूपित जाती है अनुचूपित जानकारी सेवा के अधिकारियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक देना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनहूं माने जाएंगे।

(ii) अध्यक्षियों को अंतर्राष्ट्रीय लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओपएमआर उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) भी प्रतियोगी (ट्रिप्लीकेट) में होते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अध्यक्षी उत्तर पत्रक की नूत्र प्रति एवं हितीय प्रति अपने परीक्षा रक्ष के बक्से निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जाना वारंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अध्यक्षी का परिणाम बूँद किया जाएगा। ओपएमआर उत्तर पत्रक की हुतीय प्रति अध्यक्षी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समिति के पश्चात अध्यक्षियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कूपी अंतर्राष्ट्रीय समिति से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अध्यक्षी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सहीलग उत्तर का चयन करना है। अध्यक्षी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक उत्तर उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अक्षो वा एक विशेष ज्ञानात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अध्यक्षी द्वारा कोई प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे मात्र उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी नहीं, तो उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ज्ञानात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अध्यक्षी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अध्यक्षी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ज्ञानात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओपएमआर शीट में काइटनर का उपरोक्त या विकल्पों को खुरकना/कटिंग आदि प्रतिवर्षित है और इसके लिए भी ज्ञानात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अध्यक्षी अपनी ओपएमआर शीट में मात्र अनुक्रमान्क अवधार उत्तर बुकलेट शीरीय अकिन्त करता है या कुछ भी अकिन्त नहीं करता है तो उसकी ओपएमआर शीट का मूल्यकान नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अध्यक्षी का अध्यक्षण स्वल्प निःसत माना जायेगा।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न—पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अध्यक्षी को उपलब्ध कराये गये मौजीटर/काम्यूटर/ट्रैब पर ही प्राप्त होंगे।

०६. अधिनाक्ष— लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो वा दो से अधिक अध्यक्षियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु का आधार पर वरिष्ठता का निर्वाचन होगा (आयु में वरिष्ठ अध्यक्षी पहले तथा कनिष्ठ अध्यक्षी बाद

३२२२८५

में आएगा), आयु के ची समान होने पर असंख्य वर्षावला के द्वाम में अभ्यर्थियों को अधिकान दिया जाएगा तथा समिति रूप से ख्यानित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की बेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. आयु-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निरवायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क) -परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुमति जाति/अनुमति जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1300 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकान आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-'c' के पदों के लिए अधिकान आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमत्य है। उत्तराखण्ड के स्पर्शवर्ग संघाम सेनानी के अधिकान अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकान आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 नार्मिक-२ दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सेनिकों को अपनी यात्राविक आयु में से राहरन रेना में अपनी रेता की अवधि करने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामजन्म आयु इस पद/सेवा के नियित जिनके लिए वह नियुक्त का इच्छुक हो विहित अधिकान आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो वह समझा जाएगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित रूपों को पूरा करता है।

08. आयेदन हेतु पात्रता-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिषिक से भावर समूह 'g' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियन्त्रित अनिवार्य/वांछनीय वर्तीताओं में से एक होनी आवश्यक है।-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आयेदन-पत्र प्राप्ति की अतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का भूत निवास / स्थाई निवास प्रभाग-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिषिक के भावर समूह 'g' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आयेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरवीडिट अध्ययन इनके समझका स्तर की विद्या उत्तराखण्ड राज्य में स्थित महान्यां प्राप्त संख्याओं से उत्तीर्ण हो हो।

परन्तु यह कि सेनिक/अद्वैतिक बलों में वार्षिक तथा राज्य सरकार अध्यवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/मर्दृशासकीय संस्था ने नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्यको एवं कैन्फ सरकार अध्यवा कैन्फ सरकार के रार्बरिक उपकानों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से भावर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अपने जनक पति/पत्नी, जीसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्यालीन सेवाओं में समूह 'g' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आयेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो जारीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर

निवासस्थल है, जो स्वयं अवश्य उनके पति/पत्नी, जोहरी भी लिखति ही तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह ग्रा के सीधी भर्ती के पढ़ों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(६) शासन के पत्रांक—1097/XXX/21/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से डी रजिस्ट्रेशन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विद्वापन में विज्ञापित घरों के संपर्क आवेदन करने के द्विधृत हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।” उत्तराशाखा शासन की पत्र संख्या—310/XXX/21/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार उन्नतराष्ट्रीय सेवाओं के अनावर्ती केवल उत्तराशाखा राज्य की सेवाएं, समिलित हैं।”

ऐसे अन्यर्थी जो उत्तराशाखा राज्य की सेवाओं से हताह अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, उपर्युक्त विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनावर्ती प्रभाग—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करना सकते हैं। उपरोक्त अन्यर्थीदों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में लिए गए दावों के लिए जिनके द्वारा उत्तराशाखा राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने वाले प्रभाग—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो इस तर्त के साथ अधिकारिक रूप से यह किया जाएगा यहां परि, वह इस आवश्यक का प्रभाग—पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु उपर्युक्त विभाग से अनावर्ती प्रभाग—पत्र प्राप्त कर लिया है एवं इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय जो वे ही गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आवश्यक प्रभाग—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अन्यर्थीदों को आवेदन करने हेतु यह जाना जाएगा।

(७) शासन के पत्रांक 809/XXX/21/2010-3/31/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार ‘जिन पूर्व सेविकों द्वारा उत्तराशाखा राज्य के किसी जिला सेनिक कल्याण एवं पुनर्जीवन कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सेनिक कल्याण एवं पुनर्जीवन कार्यालय द्वारा संबोधित पूर्व सेविकों को निर्वत पंजीकरण सम्बन्धी प्रभाग—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के सम्मुख्य माना जाएगा।’

०९. राष्ट्रीयता—

सेवा ने किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अन्यर्थी—

- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) भारतीय शरणार्थी हो, जो भारत में रक्षावी निवास को आवश्य से पहली जनवरी, 1982 ई० से पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय लद्भि का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में रक्षावी निवास के जाश्चर से पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ ऊजानिया (पूर्वी तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्तित किया हो;

परन्तु यह कि उपमुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अन्यर्थी के सिए वह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रभाग—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अन्यर्थी से वह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह मुसिस उप—महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराशाखा से पात्रता का प्रभाग—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के सिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अन्यर्थी को एक वर्ष

की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार प्राप्ति का प्रमाण—पञ्च आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्बद्धित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण—पञ्च उसके द्वारा प्राप्त कर दिया जाए या उसके पास में जारी कर दिया जाए।

10. घरिज़—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का घरिज़ ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए जल्दी प्रकार से उपयुक्त हो। यद्यन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का छार्ज—द्वारा हार उठिए नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके लिए दसवार्क छार्जबाही की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत को अवित करने के लिए नियमानुसार दसवार्क छार्जबाही भी आपेक्षा द्वारा भी जाएगी।

11. वैवाहिक प्रश्नावधि—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से ज्ञातिक पर्नी जीवित हो या ऐसी नहिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से पिंडाह किया हो, जिसकी पहले से एक पर्नी जीवित हो।

12. शारीरिक स्वास्थ्य—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानविक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और यो किसी ऐसे शारीरिक दोष से गुरुत्व न हो, जिससे उसे आगे कर्तव्यों का दक्षताधूर्वक पालन करने में साधा पहुँच की समाजना हो।

शासनादेश संघर्षा 374(1)(xx)(2)(v)2019-30(5)/2014 दिनकि 02 नवम्बर 2019 के अनुपालन में दियागयजन अभ्यर्थियों को श्रुततेजक एवं अन्य शुरुआत प्रदान किए जाने के संकेत में वरिशिष्ट 2(ब)में संलग्न है।

13. आक्षण्ण—

- i. शासनादेशी के नवीनतम् प्राप्तिवानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्थीरकृत कुल संबर्गीय पर्दों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थीरकृत कुल संबर्गीय पर्दों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा गर्म के लिए स्थीरकृत कुल संबर्गीय पर्दों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए स्थीरकृत कुल संबर्गीय पर्दों का 10% ऊर्ध्व आक्षण्ण अनुमत्य है। विवरित में नियोजित विकास से रोटर्टर के अनुप्रय प्राप्त आक्षण्ण दिया रखा है।
- ii. शासनादेशी के नवीनतम् प्राप्तिवानों के अनुसार उत्तराखण्ड नी नहिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सेनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के रवर्तना

- संख्यान सेनारी के अधिकत के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाध वर्षीय हेतु 05%। बुजल वित्तादी ने लिए 04% तथा उत्तराराष्ट्र राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए 10% दोषित आखण अनुकूल होगा।
- iii. आर्थिक रूप से बमजोर वर्ग का आखण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हे अनुसृति जाति, अनुसृति जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आखण प्राप्त नहीं है। जो कावेदक आर्थिक रूप से बमजोर (EWS) सेणी के अनुरूपता आवेदन के अनुकूल है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रनाल पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 की आव पर आवाहित हो रहा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- iv. उत्तराराष्ट्र की गहिला अभ्यर्थियों की सर्व श्रेणी में उन्हीं भेदियों में स्था जायेगा जिनसे वे सम्बोधित हैं। उत्तराराष्ट्र की गहिला अभ्यर्थियों के बाबते में पिता पता से निर्माण जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- v. जो अव्यव्याधी आखण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अनिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण—पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. “भूतपूर्व लैनिका” से उत्तराराष्ट्र का ऐसा अधिवासी अभिप्रैत है, जिसने भारतीय धर सेना, नी सेना या दायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पैशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) विकित्सकीय अध्यात पर, जैसा कि सेव्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियन्त्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे विकित्सकीय या अन्य धोष्यता पैदा की गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिकान में कमी किये जाने के कालस्वरूप, उच्च या प्राथमना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विहिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराकरण या अद्वितीय कारण के पश्चात या सेवा नुक्त नहीं किया गया है और जिसे विव्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टैशिटीसिल आमी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्यिक भी है—(एक) निश्चार संभिता सेवा के लिए पैदान पाने वाले, (दो) हीय सेवा के कालण विकित्सकीय अपेक्षाओं में अधोग्य व्यक्ति, और (तीन) हीय पुरुषकार पाने वाले। (पार) जो अव्यव्याधी आखण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अनिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण—पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- vii. शासनादेश संख्या—310/XXII-2/16-02/DSCU/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य प्रिचंडा बने प्रमाण—पत्र की वैला निर्भत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अन्यकी द्वारा प्रत्यक्ष लिए जा रहे ओर्डरी प्रमाण पत्र की वैला आवेदन पत्र भरने की अनिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- viii. नारात सरकार की कार्यालय झारा संख्या— 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 जून 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्धारण लिया गया है कि कोई पूर्ण सीनिक अन्यकी जो पढ़ाने से ही राज्य सरकार की समूह 'A' और 'B' की सेवा में कार्यस्त है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'A' और 'B' में उच्चतर देवी या संबंध में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सीनिक हेतु प्रधानियित आवु शिखिलता का लाभ प्राप्त कर सकता, यद्यपि ऐसा अन्यकी राज्य सरकार यी नीकी में पूर्ण सीनिक हेतु आव्वाण के लाग के लिए अर्ह नहीं होगा।
- ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification No). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय धर्म सेवा, नी सेवा या वायु सेवा में योद्धा का अन्यायोदात के रूप में रोदा की हो और अपनी अधिवासीता आवु पूर्ण होने से पूर्ण किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्वत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सीनिक छेनु नियमित आव्वाण का लाग अनुनाम्य होगा।
- x. भूतपूर्व सीनिकों के अधिवासीों को नियमित शीतिज आव्वाण या उनके आविष्ट के रूप में किसी भी प्रकार की घट या आव्वाण का लाग अनुनाम्य नहीं है।
- xi. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आविष्ट" से उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पीछे ऐसे का पुत्र) और पीछे (ऐसे की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (दीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिषेत है।
- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विनियत आन्दोलनकारियों या उनके आविष्टों को राजकीय सेवा में आव्वाण अविनियम 2023 द्वारा राज्य की राज्यकीय सेवाओं में धर्म के समय विनियत आन्दोलनकारियों या उनके आविष्टों को 10 प्रतिशत शीतिज आव्वाण दिया जायेगा।
- xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कृशाल विज्ञानियों के लिए शीतिज आव्वाण) अधिनियम, 2024 द्वारा "कृशाल विज्ञानी" से भास्त जन ऐसा नागरिक अभिषेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभावन लिया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई रथायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/ एक-4 /सा.प्र./ 2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या उत्तराखण्ड प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में रथायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कशत खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी नई के प्रक्रम पर शिक्षियों में, जिन पर मर्ती की पानी है, ०४ प्रतिशत दीर्घि आशाण निम्नवत् अनुग्रह द्वारा—


ब्र० सं०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	दीर्घि आश्वासन
1	ओमरमिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-१० एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व सौमित्रनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-६ एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	वॉर्ल्डयैरल खेल/एशियन थैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-७ एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	वॉर्ल्डयैरल सौमित्रनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-६ एवं उससे निम्न लेवल
5	राष्ट्रीय खेल/नान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल सभों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय थैम्पियनशिप/अशिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलों इन्हिन्हा एवं गेम्स	पदक विजेता	लेवल-५ एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राष्ट्रवीत सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आवश्यित पदों पर योग्य वृक्षाल विजेता की उपलब्ध न होने पर उन पदों को अवैनीत नहीं किया जायेगा, वहिं सभान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में उन्ने वाले योग्य अन्यर्थियों से भरा जायेगा।

(xiv) कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल सभों (पारं संस्कार अथवा भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा सभान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी बोली से है।

(xv) यदि अन्यर्थी एक से अधिक उपक्रमी ने आवश्यक तरफ़ेँ आवश्यक तरफ़ा करता है तो वह केवल एक उपक्रमी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का गाढ़ होना एवं आशाण का लाभ संबंधित आशाण श्रेणी का वैय प्रमाण—यत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।
नोट १:- अन्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिषिष्ट-१ तथा आशाण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिषिष्ट-२(वा), २(व्च), २(ग), २(घ), २(च) तथा विवाहिता की बेगियों से संबंधित प्रयुक्त संस्थानियों के विवरण हेतु २(छ) का अवलोकन करें। अन्यर्थी उक्त परिषिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण—यत्र तैयार करवायें।

14. उम्मीदाइन आवेदन—पत्र भरने के चरण



- i. अध्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने नोबाइल नंबर और ई—मेल जारीकी का उपयोग करना चाहिए। एक नोबाइल नंबर और एक ई—मेल जारीकी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई—मेल जारीकी और पासवर्ड सुरक्षित रहें। यहलूक जानकारी देने सारे अध्यर्थियों का अन्यथा रद्द समझा जायेगा एवं यूके०एस०एस०टी० द्वारा भविष्य में बदलावी जाने वाली परीक्षाओं से बचित होने के लिए उत्तरदाती होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में नहीं गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अध्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, यद्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लौग—इङ यो लिए आवश्यक है।
- v. अध्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रेफीन पालेटर्स आकार की फोटोप्रिण्ट का आधार (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आधार (150w×100H px) को जेठी०जी०/जेठी०इ०जी० प्राप्ति में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन—पत्र के लिए भुगतान केवल डेढ़िट/डेकेट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूटी०जी० से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया जावेदन—परीक्षा सुलक स्टीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी सुलक जाना करते वही अंतिम लिखि तक निर्धारित सुलक से बाहर जाना नहीं करता है अथवा निर्धारित सुलक से बाहर जाना है, तो उसका आवेदन पत्र/अध्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- vii. लक्नऊकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमे chayanayogi@gmail.com पर ई—मेल करें।
- viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एह उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल—जारीकी और नोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरे जाते हैं, तो उसके द्वारा भरा मात्र अन्तिम आवेदन मान्य होगा।
- ix. यदि अभ्यर्थी ये आवेदन—पत्र का सुलक किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ सुलक शीघ्र पापत कर दिया जायेगा।

- x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को लगी पूरी समझा जाएगा, जब तक वी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Status बाते अहेतु में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- xi. निम्नरित तिथि तक शुल्क जाहेंगे के लाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूरी भूमा समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी वह सुनिश्चित कर लं कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अनिम तिथि तक अभिवार्य ईक्रिक झटिए एवं अन्य लाइन समस्त अहेतु अवधि वारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनिम तिथि को नियम समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन लो "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आवेदन से किये जाने गाने प्रजातार व अन्य आवश्यक उपयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अव्यर्थन या अन्य गमतों में अभ्यर्थी कोइ आपत्ति प्रत्युत करे, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अभिवार्य काप से संतुष्ट करें।

15. शुल्क—

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है—

प्रश्नांक	श्रेणी	शुल्क (₹)
01	अनारक्षित (Unreserved) / उत्तराखण्ड अन्य विभाग वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / अधिक उम से कमज़ोहर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाध (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व उल्लेखों को पढ़े—

(1) आवेदन पत्र साक्षातीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निम्नरित न्यूनतम ईक्रिक अहेतु, सेवाकोजन परीक्षण की वैधता, आक्षण की श्रेणियां व उपचेताया आदि को साक्षातीपूर्वक यढ़कर ही आवेदन पत्र भरे, यदोंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्नीतीका जी जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अनिम वयन के बाद भी अव्यर्थन निरस्ता किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी उल्लेख एवं संलग्न आक्षण से सन्वचित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकल ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवध्य करें। आक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, निर्द मालिका (स्पेशल अपील) संख्या:-७८/२०१० द्वारा नियाल बनाम उत्तराखण्ड स्लोक सेवा अधेंग में माठ उद्य न्यायालय, नीतीसाल द्वारा पारित आदेश दिनांक ०८.०६.२०१० तथा विशेष अनुज्ञा याचिका

(सिलेंज) नं० (एस) 19632 / 2010 में गा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बान में अन्यथी को अवश्य का ताप कहापि अनुमत्य नहीं होता। अवश्यक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जगा करने की अनिम तिथि तक अध्यक्षी द्वारा अवश्य घासित करना आवश्यक है। चर्तवाहन में आर्थिक काम से कमज़ोर वर्ण के अध्यक्षियों के लिए भी अवश्य अनुमत्य किया गया है। इस खोणी में आवेदन करने वाले अध्यक्षी भी आवेदन की अनिम तिथि तक संगत प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

(3) उल्लंघन अधीनस्थ सेवा वयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अध्यक्षी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकाटीकरण जिनकी पैदा प्रकाश—पत्रों के आधार पर पुष्ट न हो या कहीं प्रमाण पत्रों (हीसिक योग्यता/आयु/अनुमति/आवेदन सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा करने में कोई भी अध्यक्षी किसी भी अन्य अध्यक्षी की उत्तर पुरीतका से न तो नकाल करेगा, न ही नकाल करतायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुप्रियत सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रबोध करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा हो ऐसे अध्यक्षियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, ताकि ही सुनित विधि के अन्तर्गत ऐसे अध्यक्षियों के विषद्व अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अध्यक्षियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी तरीखों पर सहका प्रवेश पूर्णतः अनिम होता। अध्यक्षी को प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह गर्भ नहीं होता कि उसका अध्यर्थीन आयोग द्वारा उत्तीर्ण रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिनेत्य सत्यापन के दौरान तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अध्यक्षी उन्हीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए वा अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही रूपीकर किए जाने योग्य नहीं था हो उसका अध्यर्थीन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अनिम रूप से घटनित हो जाता है तो भी आयोग वी संस्तुति प्राप्त से ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की उपरान्त आवेदन में की गई प्रविष्टियों यथा आहता, अवश्यक से सम्बन्धित छेषी/चप शेषी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी विन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विषद्वन में वर्गीत समस्त निर्देशों का भली—चौति उल्लंघन कार लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरे। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने की उपरान्त नूत्र आवेदन पत्र में दर्शाए गए विषद्वों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दस्ता में अनुमत्य नहीं होता।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जिन्म तिथि की परीक्षा न करे, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्ण ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अनिम दिनों में वेबसाइट पर अस्तित्वात् भार आता है, इससे अध्यक्षी भी आवेदन पत्र भरने से बचता ही सकते हैं।

(8) आवेदन के दूस घरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट आउट प्राप्त अथवा किसी भी प्रमाण—पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की अवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण बयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं असत्त्व प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं सम्पर्क-समय पर आयोग द्वारा लिखे गये निर्णय के अन्वर्ग सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अध्यार्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई घटनार्थी नहीं देता है। इसलिये अध्यार्थी विज्ञापन का साक्षात्कारपूर्वक अव्ययन करें और उनी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार गहरे हैं। अभिलेख सत्यावायन के समय अध्यार्थी की शैक्षिक व अन्य अभिवादक अवृत्तियों को सेवा नियमावली के प्रक्रियान्वय के अनुसार ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अहंकार सत्त्व करने वाले अध्यार्थियों का अध्यार्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) ऑफिसलाइन आवेदन में अध्यार्थी का नाम, पिता का नाम तथा उन्हें लिये हाइस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकारी का वायस्का की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थक अध्यार्थी को अपना अलग नौशाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अध्यार्थी के पास अपना स्वयं का भोवाहूल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के तावरीहों के भोवाहूल नम्बर अकिञ्चित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहें। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख सामग्री नहीं होता।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की ऐवसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में अध्यार्थियों को आयोग की ऐवसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वर्तुनिष्ठ प्रकार के प्रस्तुत वक्तों से राखित उत्तर कुंजी/कुछियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की ऐवसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अध्यार्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात नियमित समय के भीतर प्रस्तुत एवं संखित उत्तर के संकेत में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति सौनालाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफिसलाइन व नियमित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रस्तुतों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्राप्तनीतर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दीर्घन अध्यार्थी को फोटो कैमरा, डैन्क्स्युलेटर, गोवाईट फोन, पेजर, स्कैनर वैन अथवा किसी भी प्रकार के शोचार और अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की जनुराति नहीं है। यदि वे इन अनुदृशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड कानूनस्थ सेवा वयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में समिलित होने पर रोक लगाया जायेगा। अध्यार्थी को उनको हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, गोवाईट फोन, पेजर, स्कैनर वैन किसी भी प्रकार के संचार और अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लहित प्रतिक्रियत सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दीर्घन दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए वयन अध्यार्थी से प्राप्तनिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की शोपनीयता/शुद्धिता के दृष्टिगत वा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र नियमित हेतु आयोग का निर्णय अनिवार्य एवं मान्य होगा।

(16) उत्तरायण्ड जासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तरायण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित स्थानों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अध्यर्थी के हिताक उत्तरायण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित स्थानों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधिकानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित स्थानों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य ने रैनारा नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संबंधित कार्य ने नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित स्थानों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के हल्कट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हिंडाइस, पही, बैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण से जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर उत्तरायण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित स्थानों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधिकानुसार कार्रवाही की जाए।

(17) विद्यापति आख्याय लालिक ने प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

अनुचित	-	अनुचित जाति
अनुचित	-	अनुचित जनजाति
अनुचित	-	जन्म पिछड़ा वर्ग
अनुचित	-	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
अनुचित	-	अनारकित

(गुरुराम सिंह रावत)
सचिव

परियोजना-२ (क)

Syllabus for the post of बैंग काला प्रशिक्षण

Unit-1

Basic conception of बैंग काला :

- Meaning and definition of Cane Craft (बैंग कला)
- History and origin of the Cane craft.
- Current status, scope and challenges related to cane sector.
- Socio-economic status of artisan involved in cane craft
- Current policies and regulations for conservation and utilization.
- Cane craft producing countries / states in India

Unit-2

Harvesting and Processing of Cane

- Extraction and processing techniques.
- Tools and techniques used for its processing.
- Current utility, various cane products and innovation in designing
- Existing marketing status and its commercial potential.

Unit-3

Ringal Craft in Uttarakhand.

- Definition and general characteristics.
- Historical background of the ringal craft and dependent communities.
- Classification and species found in the Uttarakhand.
- Potential districts of ringal handicraft in Uttarakhand
- Availability of resources and pattern of resource use.
- Challenges faced by the artisans for sustainability.

Unit-4

Ecological significance of Ringal

- Altitudinal zones of ringal distribution in Uttarakhand.
- Ecological roles and interactions within local ecosystems.
- Growth cycles and reproductive behaviour.
- Role in ecological restoration and sustainable development goals.
- Contribution to biodiversity and habitat for other species.
- Importance of GI-Tag of ringal species.
- Current policies and regulations its conservation and sustainable utilization.

Unit-5

Cultural and Economic Significance

- o Traditional uses of ringal and its management by indigenous communities.
- o Cultural practices and rituals associated with ringal.
- o Modern applications and commercial potential.
- o Potential of Ringal-based entrepreneurship in Uttarakhand.
- o Impact on local economies and livelihoods.
- o Product range developed i.e. domestic utility items, heritage use, office use and other decorative items.
- o Existing marketing status and economics of ringal and other associated crafts.

Unit-6

Practical application and hands-on training

- o Ringal crafting techniques in modern context.
- o Innovation in designing and creating modern ringal products.
- o Successful ongoing ringal based entrepreneurship initiative taken in the state.

Unit-7

Ringal Cultivation, Harvesting Techniques:

- o Ringal propagation and cultivation techniques
- o Nursery development
- o Plantations techniques
- o Harvesting techniques

Unit-8

Processing Techniques

- o Tools and equipment (Traditional and Scientific) used in processing.
- o Post harvesting management and treatment techniques. (Cleaning, drying, splitting, smoking, colouring etc.).
- o Value addition through using other natural fibres and wild seeds.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. K. S. R.", is positioned at the bottom right of the page. Above the signature, there is a small, faint mark or drawing consisting of two curved lines forming a shape resembling a stylized 'M' or a checkmark.

Unit-9

Natural fibres in Uttarakhand

- o Different Types of natural fibres and their products
- o Traditional knowledge of processing natural fibre.
- o Various techniques of preservation and treatment of fibre (natural and modern techniques).
- o Role of natural fibres in textile industry.
- o Potential of natural fibres in the income generation of local communities.

Unit-10

Pirul Craft in Uttarakhand

- o Definition of pirul, processing and product development.
- o Various products from pirul.
- o Ecological significance of pirul utilization.
- o Current status and economics of pirul products in Uttarakhand.

The Syllabus includes current general knowledge of scientific and technical advancements in all the above units of cane and other associated crafts of Uttarakhand deemed to have been included

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prakash".

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति राष्ट्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि २०१० पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अन्वेषण उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ मुमारी _____

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री भी _____ नियमसी धारा _____

उहाँसील _____ नगर _____ जिला _____

उत्तराखण्ड जी _____ जाति के लिए संकेतान (अनुसूचित जाति) आदेश १९०० (जैसा कि समय-वामद पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उद्देश) आदेश १९६७, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, दो अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में घास्ता ही रही है।

श्री/ श्रीमती/ मुमारी _____ राष्ट्र/ अवला समका परिवार

उत्तराखण्ड के धारा _____ उहाँसील _____ नगर

जिला _____ में सामान्यता रहता है।

स्थान :- _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक :- _____

पूरा नाम _____

पदनाम _____

मुक्त _____

जिलाधिकारी/अपर जिला अधिकारी/
सिली/मणिस्ट्रोट/उप जिला अधिकारी/
उहाँसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिचय-2(व)

उत्तराखण्ड की आरंभिक लोगों हेतु निर्वाचित प्रमाण-पत्रों के प्रयत्न।

प्रमाण-पत्र का ग्राहक

उत्तराखण्ड के अन्य विजड़े वर्ग के लिए जारी प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उद्यम कुमाऊँ अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुमन/पली/सुमनी श्री..... निवासी जान.....

तहसील..... नगर..... जिला.....

उत्तराखण्ड के राज्य की..... विड़े जारी के व्यक्ति है। यह जारी उद्यम सेक्टरकुमारीका यात्रियों, अनुसूचित जनजातियों द्वारा अन्य विड़े वर्गों के लिए आवश्यक अधिनियम, 1994) द्वारा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, जो कुमारी-1 के अन्तर्गत महन्यामा प्रभाव है। उक्त अधिनियम, 1994 की कुमारी-2 ने अधिकृतका संख्या-22/16/92-का-2/1995 दी.सी. दिनांक 05 दिसंबर, 1995 द्वारा यहा संशोधित से जारीकरित जारी है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... निवासी जान..... तहसील..... नगर..... जिला.....

राज्यानुसार :-..... निवासी जान..... तहसील..... नगर..... जिला.....

दिनांक :-..... निवासी जान..... तहसील..... नगर..... जिला.....

पाठ्यालय..... निवासी जान..... तहसील..... नगर..... जिला.....

मुहर..... निवासी जान..... तहसील..... नगर..... जिला.....

जिलाधिकारी/अगर जिला भविस्ट्रेट/सिटी
भविस्ट्रेट/उप जिला नियस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला सभाया काल्यान अधिकारी।

परीक्षण-२(व)

उत्तराधिकार सरकार

(इमान यज्ञ निर्माण करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(प्रतिशूलन संख्या-४४ / XXXVI(3) / 2010 / 10(1) / 2010 दिनांक ०७ मार्च २०१० के अधीन)

अधिकृत रूप से कमज़ोर दरगा के लिए आद एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... दर्थ..... हेतु जन्म..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मी/श्रीमती/मुझसे
पुत्र/पत्नी/चुप्ती..... जन्म/मौजूदता.....
फैस्ट ऑफिस..... जिला..... दिन कोड.....

उत्तराधिकार राज्य के गृह निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम पोटी नीवे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी लोहरों से गिरीषीय दर्थ..... की ओर से आद अधिकृत रूप से
कमज़ोर दरगा के लिए निर्माणित मामाक ₹ 8.00 लाख(सभ्ये जात लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति आरेह नहीं करता है:-

1. यहि भूमि ५ एकड़ या उससे अधिक, या
ii. आवासीय भवन १००० वर्ग फुट या उससे अधिक, या
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में १०० वर्ग गज या उससे अधिक के अवासीय पूर्खाध्य, का
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में २०० वर्ग गज या उससे अधिक के भूत्थान।
2. मी/श्रीमती/मुझसे
सरकार/उत्तराधिकार सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अथ निवास वर्ग सूची में
सम्मिलित नहीं है।

लाइन का नवीनतम
प्राप्तीकरण लाइन का
प्रमाणित पोटी

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुद्रा
नाम.....
पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संदर्भ सेनानियों के आमिती के लिए प्रमाण-पड़

राजनायिक संख्या-4/23/1982-2/1997, विनायक 25 दिसंबर, 1997

(जैसा कि 7050 पुनरीहन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..... निवासी घान.....

सहसोन..... नगर..... जिला.....

यत्तर प्रदेश लौक सेवा (आर्थिक रूप से विकलान, स्वतंत्रता संदर्भ सेनानियों के आमित और मूलपूर्व लैनिक के लिए अल्पाल्प) अधिनियम, 1983 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, को अनुसार स्वतंत्रता संदर्भ सेनानी है और श्री/ श्रीमती/ कुमारी[आमिता].....

.....पुत्र/पुत्री/पीड़ि/पीढ़ी(पुत्री की पुत्री)[प्रियाहित या अविवाहित] लघविका अधिनियम, 1993 के ही प्राकान्वे के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संदर्भ सेनानी) के आमित हैं।

स्वतन्त्र
हस्ताक्षर.....

दिनांक :-
पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

निलालिकारी.....

परिणाम-2(व)

निवासता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या—

तारीख—

निवासता प्रमाण-पत्र

विभिन्न बैंड के अन्तर द्वारा निर्मित प्रमाणित उमीदावर का जाता हो जोहो वे उमीदावर की निवासता प्रमाण हो।

प्रमाणित किया जाता है कि मी/मीली/मू—

मुमुक्षु/जनी/सुनुनी..... आगे जिस पद्धति यिह—

निर्दिष्टित खेती की स्थादी निवासता हो गता है।

क. गति विकास(ट्रैकर्सेटर) अथवा प्राइवेटस्मीष प्राप्तात्मक(ट्रैकिंग)

1. दोनों टार्गेट(ए. एल.) — दोनों पैर प्रमाणित किन्तु हाथ प्रमाणित नहीं
2. दोनों बाहियों(ए. ए) — दोनों बाहियों प्रमाणित (ए) दुर्बल घटन
(ए) कमज़ोर घटन
3. दोनों टार्गेट और बाहियों(ट्रैकर्स.एल.) — दोनों टार्गेट और दोनों बाहियों प्रमाणित
4. एक टार्गेट(ट्रैकर्स.एल.) — एक टार्गेट प्रमाणित (याया या बाय)
5. एक बाहियों(ट्रैकर्स.ए) — एक बाहियों प्रमाणित
(ए) दुर्बल घटन
(ए) कमज़ोर घटन
(ए) गति विप्राप (ट्रैकिंग)
6. एक बाहियों(ट्रैकर्स.ए) — एक बाहियों प्रमाणित
(ए) दुर्बल घटन
(ए) कमज़ोर घटन
(ए) गति विप्राप (ट्रैकिंग)
7. एक और निवास(ट्रैकर्स.) — एक और निवास में काकायनपैटा और सूक्ष्म नहीं लगती
8. कमज़ोर नाम पेशियों(एम.एम्स.) — नाम पेशियों में कमज़ोरी और सीमित उत्तरीक सहनशक्ति

स्थ. अन्यथा अथवा सत्य दृष्टि -

- i. वी. - उल्लंगता
- ii. वी. वी. - अलिंक तत्र से अंगता

ग. कम सुनाई देता

- i. वी. - अधिक
- ii. वी. वी. - अलिंक तत्र से बहिर
(इस बोली की हड्डा दे जो लागू न हो)

2. यह शिखिति में इनामी है / ऐर प्रगामी है / हसमें सुधार होने की राष्ट्रपत्ना है / सुधार होने की सम्भालन नहीं है : इस मामले का दुर्विविलन जिए जाने की अनुकूलता नहीं की जाती - _____ यही _____ चौंगों की अवधि के पश्चात पुनर्विविलन जिए जाने की अनुकूलता की जाती है : *

3. उनकी नामांकन में नियंत्रणकाल तत्र प्रतिस्पृश _____ है।

4. श्री/ श्रीमती/ सुभागी _____ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए
प्रियंविविलन जारीरिक अवधारणी की पूरा करते/ जाती है:-

i.	एक- अनुदित्यों को यत्कर कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
ii.	यी/यी- छठेलगे और चीलने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं।	हाँ/ नहीं
iii.	एत- उठाने से जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं।	हाँ/ नहीं
iv.	यी/सी- सुनाने के बत सुकूने और दबक कर कार्य कर सकते/ सकती हैं।	हाँ/ नहीं
v.	वी- झूक कर कार्य कर सकते/ सकती हैं।	हाँ/ नहीं
vi.	एस- बैठ कर कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
vii.	एसटी- छढ़े होकर कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
viii.	इस्टू- बलते हुए कर कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
ix.	एसई- दैख कर कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
x.	एच- सुनाने/ बोलने से जरिए कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं
xi.	आर/ओस्टू- यहने और तितिजने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती है।	हाँ/ नहीं

(अ) _____

साधनव
प्रिकिलता बोर्ड

(ब) _____

साधनव
प्रिकिलता बोर्ड

(स) _____

साधनव
प्रिकिलता बोर्ड

प्रिकिलता अधिकारक/ सुन्दर प्रिकिलता अधिकारी/
जनसंसाधन के नुसिया इन प्री इस्ट्रायरिटा
(मुक्त चिठ्ठी)

* जो लागू न हो जाता है।

परिशिष्ट-2(८)

प्रतीक्षा की संकेतों से संबंधित प्रमुख संकेतिकों का विवरण
Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories
संविकल्प से सम्बंधित प्रमुख संकेतिकों

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंगी	हिन्दी	अंगी	हिन्दी
1	B.	भूँ	Blind	दृष्टिहीन
2	L.V/P.B.	लोवीजन/पैरिंडि	Low Vision/Partially Blind	लोवीजन/पैरिंडि
3	D.	दूँ	Deaf	नवाज
4	H.H/P.D.	हॉर्डेन्स/पैरिंडि	Hard of Hearing/Partially Deaf	हार्ड हॉर्डिंग में हार्ड/पैरिंडि हॉर्डिंग
5	O.A.	ओर्गें	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभवित (1) असमर्थ (2) घटावारे में असमर्थ (3) असमुच्चलता
6	O.L.	ओर्गेंल	One Leg Affected	एक पैर प्रभवित
7	B.A.	बोर्गें	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभवित (1) असमर्थ (2) घटावारे प्रभवित
8	B.L.	बोर्गेंल	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभवित
9	B.L.A.	बोर्गेंलें	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभवित
10	B.H.	बोर्गेंपॉ	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एंड हिप (सेट नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओर्गेंलें	One Arm and One Leg Affected	एक हाथ और एक पैर प्रभवित
12	C.P.	सीपी	Cerebral Palsy	क्रोमिटिक पाल
13	L.C.	लॉर्गें	Leprosy Cured	लॉप्रोज रुच
14	Dw.	डोर्फें	Dwarfism	डोर्फिन
15	A.A.V/A.V.	एसीवी/योवी	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसीव व्रायमन विक्रित/एसीव विक्रित
16	A.S.D.	आइसीडी	Autism Spectrum Disorder	स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
17	S.L.D.	स्पेसिफिकलैर्निंग	Specific learning Disability	स्पेसिफिक लैर्निंग डिसऑर्डर
18	I.D.	इंटेलिंग	Intellectual Disability	इंटेलिंग डिसऑर्डर
19	M.Dy./M.W.	एम्यूट्रोफी/एम्प्रेसिंग	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	म्यूट्रोफी ड्यूस्ट्रोफी/मास्ट्रोफी की इकाईयों तथा बीमारी इकाईयों का सम्बन्धित
20	M.I.	मेंटलिल्ड	Mental Illness	मेंटल इलिस्ड
21	M.D.	मेंटलिल्ड	Multiple Disabilities	मेंटल इलिस्ड
22	Th.	ठालासेमिया	Thalassemia	ठालासेमिया
23	Hp.	हेमोफिलिया	Hemophilia	हेमोफिलिया